

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018—पौष 28, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. डी-15-10-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1816-13-चौदह-60, दिनांक 13 अप्रैल 1960 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति पेटलावद के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपर्युक्त प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

### स्थान

ग्राम बामनिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों का कुल रक्का 4.0470 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	113/मिन.1	4.047 योग . . 4.047

### जिसकी सीमाएं

पूर्व में—काजलिया कच्चा रोड़।

पश्चिम में—सुभद्रा पिता बाबूराव मराठा का खेत।

उत्तर में—जगानिया जिनिंग फैक्ट्री।

दक्षिण में—नाला।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. डी-15-10-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 18<sup>th</sup> January 2018

No. D-15-10--2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that the following places including all structures, enclosure, open places or locality in the Petlawad market area for which a market at has been established *vide* this Department's Notification No. 1816-13-XIV-60, dated 13th April 1960 shall be Sub-market yard, namely:—

#### PLACE

An area of 4.047 Hectars land of below mentioned Khasra number at Bamaniya in Petlawad Tehsil of Jhabua District :—

S. No.	Khasra No.	Area (In hect.)
(1)	(2)	(3)
1	113/Min. 1	4.047
Total . .4.047		

#### BOUNDED BY

**On the East by**—Kajaliya Kachha Road.

**On the West by**—Land of Subhadra D/o Baburao Maratha.

**On the North by**— Jaganiya Zeening Factory.

**On the South by**— Naala.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. डी-15-10-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी 2018 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र पेटलावद, जिला झाबुआ के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

#### क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत, बामनिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
  1. बामनिया, 2. अमरगढ़, 3. रामपुरिया, 4. छायन पश्चिम, 5. मुलथानिया, 6. बोरपाड़ा, 7. सातेर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. डी-15-10-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

Bhopal, the 18<sup>th</sup> January 2018

No. D-15-10-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 18th January 2018 the following area of Petlawad Tehsil of Jhabua District shall be Sub-market yard, namely:—

**AREA**

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Bamaniya in Tehsil Petlawad of District Jhabua.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub-market yard, namely:—
  1. Bamaniya, 2. Amargarh, 3. Rampuriya, 4. Chhayan West, 5. Multhaniya, 6. Borpada, 7. Sater.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.